बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्याः पी0पी0एम0–41/2012 – 1535 /कृ0, पटना दिनांक 27-03-2018

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप से परामर्शित — #द्वारा – वित्त विभाग।

विषय – **डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के क्षेत्राधिकार में कार्यरत तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली/मत्स्यकी महाविद्यालय, ढोली एवं कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, पूसा में स्नातक स्तर पर नामांकित बिहार के निवासी छात्रों को स्टाइपेंड भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूर्व में स्वीकृत 166.00 लाख रूपये के अतिरिक्त बजट उपबंध के अधीन तत्काल 22.00 लाख (बाईस लाख) रू० सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या– 4495 दिनांक 29.08.2012 तथा कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या– 2990 दिनांक 12.06.2013 एवं कृषि विभागीय संकल्प संख्या 18 दिनांक 06.01.2017 के क्रम में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के क्षेत्राधिकार में कार्यरत तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली/मत्स्यकी महाविद्यालय, ढोली एवं कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, पूसा में स्नातक स्तर पर नामांकित बिहार के निवासी छात्रों को स्टाइपेंड भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूर्व में स्वीकृत 166.00 लाख रूपये के अतिरिक्त बजट उपबंध के अधीन तत्काल 22.00 लाख (बाईस लाख) रू० सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति नियंत्रक, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के पत्रांक–2829 दिनांक 16.02.2018 के क्रम में प्रदान की जा रही है।

2. डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 24.00 लाख रूपये सहायक अनुदान की माँग की गयी है। तत्काल 22.00 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शेष राशि अगले वित्तीय वर्ष बजट उपबंध प्राप्त होने पर स्वीकृत किया जा सकेगा।

3. कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या– 4495 दिनांक 29.08.2012 तथा कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या– 2990 दिनांक 12.06.2013 एवं कृषि विभागीय संकल्प संख्या 18 दिनांक 06.01.2017 द्वारा निर्धारित शर्त्ते यथावत रहेंगी। योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथा आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–41/2012 – 1535 /कृ0, पटना दिनांक 27-03-2018

प्रतिलिपि : सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.3.2018

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–41/2012 – 1535 /कृ0, पटना दिनांक 27-03-2018

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.3.2018

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–41/2012 – 1535 /कृ0, पटना दिनांक 27-03-2018

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.3.2018

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–41/2012 – 1535 /कृ0, पटना दिनांक 27-03-2018

प्रतिलिपि– उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/ कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक शष्य (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26.3.2018

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– पी0पी0एम0–41/2012 – 1535 /कृ0, पटना दिनांक 27-03-2018

प्रतिलिपिः– कुलपति, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/ नियंत्रक, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/प्राचार्य, तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली/मत्स्यकी महाविद्यालय, ढोली/कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, पूसा/प्रधान सचिव, कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.3.2018

प्रधान सचिव।

4. उक्त योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्यय से संबंधित बजट शीर्ष तथा उपबंधित राशि का विवरण निम्न प्रकार है (राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	पूर्व में स्वीकृत राशि	तत्काल स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा– उपमुख्य शीर्ष–01–फसल कृषि कर्म लघु शीर्ष 277–शिक्षा माँग संख्या–01 उप शीर्ष 0101– राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान विपत्र कोड 01–2415012770101, विषय शीर्ष 0101.31.06 सहायक अनुदान– गैर वेतन"	166.00	145.50	20.50
मुख्य शीर्ष "2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा– उपमुख्य शीर्ष–01–फसल कृषि कर्म लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–01 उप शीर्ष 0105– राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान विपत्र कोड 01–2415017890105, विषय शीर्ष 0105.31.06 सहायक अनुदान– गैर वेतन"	32.00	30.89	1.11
मुख्य शीर्ष "2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा– उपमुख्य शीर्ष–01–फसल कृषि कर्म लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या–01 उप शीर्ष 0108– राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान विपत्र कोड 01–2415017960108, विषय शीर्ष 0108.31.06 सहायक अनुदान– गैर वेतन"	2.00	1.61	0.39
कुल	200.00	178.00	22.00

5. स्वीकृत राशि 22.00 लाख रूपये (बाईस लाख रूपये) की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को उक्त स्वीकृत राशि उपलब्ध करायेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित महाविद्यालय को राशि विमुक्त की जायेगी। विमुक्त राशि के विरूद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है, इसका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा, जो राज्य सरकार से स्वीकृत है।

6. अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म–42 पर की जायेगी, जिसके साथ डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय से पूर्व प्राप्ति रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 / वि0 दिनांक 31.05.17 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्री, कृषि की स्वीकृति संचिका संख्या पी0पी0एम0–41 / 2012 के पृ0सं0– 138 / टि. पर प्राप्त है।

8. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पी0पी0एम0–41 / 2012 के पृ0सं0–139 / टि. पर दिनांक– 26.03.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

26.3.2018

(सुधीर कुमार)

प्रधान सचिव।